

प्रेषक,

आयुक्त,
बरेली मण्डल,
बरेली।

सेवा में

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

संख्या:

/ उ०नि०प० / आशु० / स्व०ना०मि० (ग्रामीण) 2015-16 /

दिनांक १९ दिसम्बर, 2015

विषय—स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, खुले में शौचमुक्त (ओ०डी०एफ०) बनाने तथा निर्मित शौचालयों के फोटो अपलोड किये जाने की प्रगति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-३०७८(१)/३३-३/१५ दिनांक 19.11.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छायाप्रति संलग्न) आप अवगत ही हैं कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रदेश के विकास एजेण्डा का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, साथ ही २० राज मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत शौचालयों का निर्माण मा० मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में से एक है। राष्ट्रीय स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपदों की ऑनलाइन पर अंकित की गयी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर समीक्षा की जाती है तथा उसके आधार पर ही केन्द्रांश की धनराशि निर्गत किये जाने का प्राविधान है।

उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को ०२ अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु यह अतिआवश्यक है कि प्रतिवर्ष अधिक से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया जाये। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लगभग ०८ माह का समय व्यतीत हो चुका है परन्तु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के अन्तर्गत आपके जनपद की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

१. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के अन्तर्गत आपके जनपद का वर्ष 2015-16 का व्यवितरण शौचालय निर्माण हेतु वार्षिक भौतिक लक्ष्य २८३१५ निर्धारित है, जिसके सापेक्ष दिनांक ३०.११.२०१५ तक भौतिक प्रगति ५७७४ है, जो कि लक्ष्य का २० प्रतिशत है। आपके जनपद में वर्ष 2015-16 में खुले में शौच मुक्त (ओ०डी०एफ०) हेतु ०३ ग्राम पंचायत चिन्हित हैं, जिसके सापेक्ष अभी तक आपके जनपद द्वारा किसी भी ग्राम पंचायत को आच्छादित नहीं किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य समरकद्वारा रूप से प्रदेश की समस्त ग्राम/ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त (ओ०डी०एफ०) बनाने के साथ-साथ ओ०डी०एफ० स्तर को निरंतर बनाये रखने की आवश्यकता है। खुले में शौच मुक्त (ओ०डी०एफ०) करने हेतु केवल व्यक्तिगत शौचालय निर्माण ही नहीं अपितु समुदाय के व्यवहार परिवर्तन पर विशेष जोर दिये जाने की आवश्यकता है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खुले में शौच मुक्त (ओ०डी०एफ०) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

(अ) ग्राम/वातावरण में कोई मल दृश्यमान न हो।

(ब) प्रत्येक घर के साथ-साथ सार्वजनिक/सामुदायिक संस्थाओं द्वारा मानव मल के सुरक्षित निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी का प्रयोग किया गया हो।

सुरक्षित तकनीकी का अभिप्राय यह है कि मिट्टी, भूगर्भ जल तथा धरातल पर उपलब्ध जल प्रदूषित न हो तथा उन तक मविखियों व जानवरों की पहुँच न हो साथ ही किसी प्रकार की दुर्गम्य इत्यादि का अनुभव न हो।

मानव मल के सुरक्षित निपटान के लिए प्रत्येक परिवार में व्यवितरण शौचालय तथा सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग किया जाना आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत जनपद द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु चिन्हित ग्राम पंचायतों को खुले में शौचमुक्त हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाना आवश्यक है।

२. जनपद शाहजहाँपुर में वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में कुल १०४७.७८ लाख रु० की धनराशि उपलब्ध थी, जिसके सापेक्ष आपके जनपद द्वारा दिनांक ३०.११.२०१५ तक ६९२.८८ लाख रु० की धनराशि व्यय की गयी है, जो कि लक्ष्य वर्ग ६६.१० प्रतिशत है। यहां पर यह भी अवगत कराना है कि जिन जनपदों द्वारा जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि का व्यय कर लिया जायेगा, उन्हें अतिरिक्त

(कृष्ण नानामुक्त शौचालय)
प्रशासनिक अधिकारी
पंचायतीकरण विवरण उप्र०)

धनराशि की मांग की स्थिति में और धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, परन्तु व्यय की गयी धनराशि का पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि धनराशि का उपभोग यथाशीघ्र कर वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ताकि अतिरिक्त वांछित धनराशि की मांग की जा सकें।

3. जनपद शाहजहाँपुर में जो व्यक्तिगत शौचालय निर्मित कराये जा रहे हैं उनके फोटोग्राफ भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आपके जनपद में 02 अक्टूबर, 2014 से दिनांक 30.11.2015 तक कुल 20879 व्यक्तिगत शौचालय निर्मित दर्शाये गये हैं परन्तु इसके सापेक्ष मात्र 10383 शौचालयों के फोटोग्राफ वेबसाइट पर अपलोड किये गये हैं, जो कि लक्ष्य का 49.72 प्रतिशत है।

सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्मित शौचालयों की फोटो भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है, जिसके उपरान्त ही भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जायेगी, अन्यथा की दशा में धनराशि अवमुक्त किया जाना संभव नहीं होगा। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित कराये जा रहे व्यक्तिगत शौचालयों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि शौचालय का निर्माण निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कराया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि निर्मित शौचालयों का नियमित निरीक्षण/सत्यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाये तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी रेन्डम आधार पर चयनित ग्रामों का भ्रमण कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया जाये।

पुनः अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार का एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अतः आप अपने स्तर से इस कार्यक्रम की नियमित गहन समीक्षा करते रहें तथा कार्यक्रम की प्रगति से समय-समय पर अधोहस्ताकारी को भी अवगत करायें। साथ ही कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी अधिकारियों को कठोर निर्देश निर्गत कर वार्षिक लक्ष्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी स्तर पर उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा लापरवाही अथवा शिथिलता प्रकाश में आती है तो उसके विलम्ब कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। मैं आशान्वित हूँ कि आपके कुशल मार्ग निर्देशन में जनपद द्वारा शात्रप्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति समयान्तर्गत प्राप्त की जायेगी।

संलग्नक : उक्तानुसार।

मध्यदीय,

(प्रमाणशु)

आयुक्त,
बरेली मण्डल,
बरेली।

संख्या: ४१५/उ०नि०प०/आशु०/तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र० लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर।
4. संयुक्त निदेशक, पंचायत, बरेली मण्डल, बरेली।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर।

०५

आयुक्त,
बरेली मण्डल,
बरेली।